



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092026-276161  
CG-DL-E-14092026-276161

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4800]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4800]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

**का.आ. 4990(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य के लेह लद्दाख जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 के कि.मी. 290 से कि.मी. 301.1 के बीच 2.65 कि.मी. (1.95 कि.मी. टनल और 0.7 कि.मी. अप्रोच रोड) की लंबाई वाले रूट पर फोटू-ला पास पर एक ही दिशा में चलने वाली दो टनल और अप्रोच रोड का डिज़ाइन और भू-खण्ड के निर्माण के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एसडीएम, खालत्सी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य के लेह लद्दाख जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 के कि.मी. 290 से कि.मी. 301.1 के बीच 2.65 कि.मी. (1.95 कि.मी. टनल और 0.7 कि.मी. अप्रोच रोड) की लंबाई वाले रूट पर फोटू-ला पास पर एक ही दिशा में चलने वाली दो टनल और अप्रोच रोड का डिज़ाइन और भू-खण्ड के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण।

| राज्य का नाम: लद्दाख  |                  |                | जिले का नाम: लेह लद्दाख |                                     |                                 |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| क्रमिक संख्या         | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति         | भूमि का क्षेत्रफल<br>(स्थानीय इकाई) | भूमि का क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर) |
| 1                     | 2                | 3              | 4                       | 5                                   | 6                               |
| तालुक का नाम: खालत्सी |                  |                |                         |                                     |                                 |
| गांव का नाम: लामायुरु |                  |                |                         |                                     |                                 |
| 1                     | 1249             | सरकारी         | गैर कृषि                | 3.1793 (हेक्टेयर)                   | 3.1793                          |
| 2                     | 1256             | सरकारी         | गैर कृषि                | 4.9953 (हेक्टेयर)                   | 4.9953                          |
| 3                     | 968              | निजी           | गैर कृषि                | 0.349 (हेक्टेयर)                    | 0.349                           |
| Total                 |                  |                |                         |                                     | 8.5236                          |

[फा. सं. LAC-54(G)Rev/2025(803)/3A.]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2026

**S.O. 4990(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Design and Construction of Uni-Directional Twin Tunnels including Approach Roads at Fotu-La Pass of alignment length 2.65 Km (1.95 Km of Tunnel and 0.7 Km of Approach Road) between Km 290 to Km 301.1 of National Highway No. 1 in the district of Leh Ladakh, Union Territory of Ladakh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDM, Khaltsi in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and

can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Design and Construction of Uni-Directional Twin Tunnels including Approach Roads at Fotu-La Pass of alignment length 2.65 Km (1.95 Km of Tunnel and 0.7 Km of Approach Road) between Km 290 to Km 301.1 of National Highway No. 1 in the district of Leh Ladakh, Union Territory of Ladakh.**

| State: Ladakh     |                    |              | District: LEH LADAKH |                      |                    |
|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Sl. No.           | Survey/Plot Number | Type of Land | Nature of Land       | Area (in Local Unit) | Area (in Hectares) |
| 1                 | 2                  | 3            | 4                    | 5                    | 6                  |
| Taluk: Khaltsi    |                    |              |                      |                      |                    |
| Village: Lamayuru |                    |              |                      |                      |                    |
| 1                 | 1249               | Government   | Non Agriculture      | 3.1793 (Hectare)     | 3.1793             |
| 2                 | 1256               | Government   | Non Agriculture      | 4.9953 (Hectare)     | 4.9953             |
| 3                 | 968                | Private      | Non Agriculture      | 0.349 (Hectare)      | 0.349              |
| Total             |                    |              |                      |                      | 8.5236             |

[F. No. LAC-54(G)Rev/2025(803)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director